राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

शासन सचिवालय परिसर के उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर स्थित पार्किंग स्थल प्रबन्धन व संचालन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना का संदर्भ	प. 1(6)का/ख–3/2024 दिनांक 08.01.2025
2	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय परिसर में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन बाबत।
3	निविदा राशि	राशि रूपये 2,00,000/–
4	निविदा प्रपत्र मूल्य	राशि रूपये 200/–जीएसटी की राशि रूपये 36/– पृथक से
3	निविदा की शर्तें	परिशिष्ट–3 ''निविदा की शर्तें'' के अनुसार
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी का विवरण	पंजीयक, शासन सचिवालय
5	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 23.01.2025 मध्यान्ह 12.00 बजे तक
6	निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 23.01.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
7	निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 23.01.2025 को सायं 4.00 बजे
8	ठेका अवधि	कायादेश में अंकित दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए
9	बोली प्रतिभूति राशि	राशि रूपये 4,000/– (अक्षरे चार हजार रूपये मात्र)

इच्छुक निविदादाता ठेकेदार/संस्था कृपया ध्यान देंः–

1. इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न 3 परिशिष्ट संलग्न हैः–
   (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट–1
   (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट–2
   (3) निविदा की शर्तें – परिशिष्ट–3
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक ठेकेदार/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
3. तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ठ–1) के साथ निविदादाता को वांछित दस्तावेज, हस्ताक्षरयुक्त विवरण–पत्र एवं (परिशिष्ठ–3) निविदा की शर्तें हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना जरूरी है, और उक्त लिफाफे पर **''राजस्थान शासन सचिवालय परिसर (जयपुर) में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर में नवनिर्मित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन के ठेके के लिये निविदा–तकनीकी निविदा''** शब्दावली अंकित करनी होगी। इस तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्न 3.1 से 3.6 बिन्दु पर अंकित प्रपत्र रखे जाएँगे :–

   3.1 बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/– (अक्षरे राशि रूपये चार हजार मात्र) का जयपुर मे भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट ''शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर'' के नाम देय।

   3.2 शासन सचिवालय द्वारा विक्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये निविदा की शर्तों सम्बन्धी प्रपत्र (परिशिष्ट–3) प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–1) को पूर्ण भरकर एवं उक्त विवरण पत्र को हस्ताक्षर करके लिफाफे में रखना होगा, जिस पर **'तकनीकी निविदा'** अंकित करना होगा।

3.3 नगर निगम अथवा अन्य राजकीय कार्यालयों/राजकीय उपक्रमों के अधीन पार्किंग स्थलों के प्रबन्धन का कम से कम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। (वर्ष 2018 से आदिनांक तक की अवधि में)

3.4 सक्षम राजस्व प्राधिकारी (यथा उपखंड अधिकारी) से जारी किया गया मूल निवास प्रमाणपत्र/पासपोर्ट/चुनाव आयोग का फोटो पहचानपत्र/आधार कार्ड में से कोई एक की प्रमाणित प्रति।

3.5 जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (यदि हो तो) संलग्न किया जावे। आयकर विभाग द्वारा जारी 'पेन कार्ड़' संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3.6 निविदादाता को कम से कम राशि रूपये 2.50 लाख तक का सक्षम राजस्व प्राधिकारी (यथा उपखंड अधिकारी) द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति (प्रमाण–पत्र फर्म या फर्म के प्रोपराईटर या कम्पनी के नाम में ही होना चाहिये) अथवा किसी राष्ट्रीयकृत/व्यावसायिक बैंक से जारी किया गया सोल्वेंसी प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) जो कि निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक को 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो, की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.7 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–2), जिसमें ठेके की वार्षिक राशि (निविदा बोली) की राशि का अंकन बिन्दु संख्या 5 पर करके उक्त **वित्तीय निविदा प्रपत्र को अलग लिफाफे में रखना होगा, जिस पर 'वित्तीय निविदा' अंकित करना होगा।**

4. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। अगर डाक से भेजी गयी निविदायें निर्धारित दिनांक व समय तक पंजीयक कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर में नहीं पहुंचती हैं तो इसके लिये शासन सचिवालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

5. निविदा में प्राप्त तकनीकी निविदाओं को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पंजीयक, शासन सचिवालय के कक्ष में खोला जावेगा। तकनीकी दृष्टि से योग्य पाई जाने वाली निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, जिसकी सूचना कार्यालय द्वारा यथा समय दे दी जावेगी।

6. निविदादाता द्वारा मूल निवास एवं अन्य बिन्दुओं बाबत दी गई सूचनाओं का सत्यापन कराया जा सकता है और असत्य सूचनाएं प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

7. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.6 पर अंकित प्रपत्र/दस्तावेज अनिवार्य हैं और इनके अभाव में निविदा बिना मूल्यांकन के ही निरस्त की जा सकती है।

8. शासन सचिवालय प्रशासन (कार्मिक विभाग) को किसी भी निविदा को (अधिकतम अथवा न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. वित्तीय निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में दरें अंकित व हस्ताक्षरित करके केवल वित्तीय निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे में ही रखा जावेगा तथा इस लिफाफे मे अन्य कोई दस्तावेज नहीं रखा जावेगा। इस लिफाफे पर **''शासन सचिवालय परिसर में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुए साइकिल स्टेण्ड़ के प्रबन्धन व संचालन के कार्य बाबत ''वित्तीय निविदा''** शब्द अंकित करने होंगे तथा लिफाफे को सीलबन्द किया जावेगा।

10. ''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'' के अलग अलग सीलबन्द दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रख कर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबन्द करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर **''शासन सचिवालय परिसर में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुए साइकिल स्टेण्ड़ के प्रबन्धन व संचालन के कार्य हेतु निविदा''** शब्दावली अंकित कर पंजीयक कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में इस हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय तक कार्य दिवस में जमा कराना होगा।

11. प्राप्त निविदाओं को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/कार्यालय मे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम तकनीकी निविदा के लिफाफे को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा के लिफाफे सुरक्षित रखे जावेंगे। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।

12. निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा मे दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया मे तकनीकी समिति निविदादाता के व्यावसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

13. तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के बिन्दु संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, व 14 की सूचनायें तकनीकी निविदा के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर निविदादाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

14. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण एवं भौतिक सत्यापन के बाद केवल उन निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जावेंगे, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं के वित्तीय निविदाओं के लिफाफे नहीं खोले जावेंगे।

15. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

पंजीयक
शासन सचिवालय

तकनीकी निविदा प्रपत्र

जमा कराने की अन्तिम तिथि : 23.01.2025 **हस्ताक्षर**

समय 3.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र शुल्कः–200/– एवं जी.एस.टी. रूपये 36/– पृथक–पृथक से **अनुभागाधिकारी**

शासन सचिवालय में उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर मे बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन हेतु ठेका

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग		कार्मिक (ख–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2	निविदा का संदर्भ		निविदा सूचना क्रमांकः प . 1(6)कार्मिक/ख–3/2024 दिनांक 08.01.2025
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण		शासन सचिवालय परिसर में उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन बाबत (विस्तृत विवरण निविदा की शर्तों परिशिष्ट–3 के अनुसार)
4	निविदा प्राप्त करने वाला अधिकारी		पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
5	निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय		दिनांक **23.01.2025** को अपरान्ह 3.00 बजे तक
6	तकनीकी निविदा खोलने का दिनांक, समय व स्थान		दिनांक **23.01.2025** को सायं 4.00 बजे, पंजीयक शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में
7	निविदादाता का विवरण	निविदादाता फर्म का नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाइल फोन	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/फर्म में पदनाम	
8	निविदा प्रपत्र शुल्क :–200/– एवं जी.एस.टी. रूपये 36/– पृथक–पृथक से जमा कराने का विवरण		डी.डी./रसीद संख्या......................दिनांक................... डी.डी./रसीद संख्या......................दिनांक................... (मूल रसीद की प्रमाणित प्रति/डी.डी. संलग्न करें)
9	**बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/– (अक्षरे चार हजार रूपये मात्र)** (डी.डी. /बैंकर्स चैक संलग्न करें)		संख्या ——————— दिनांक ———— —
10	**सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया पहचान हेतु निम्नांकित में से किसी एक की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।**		
	मूल निवास प्रमाणपत्र		
	पासपोर्ट		
	चुनाव आयोग का फोटो पहचानपत्र		
	आधार कार्ड		

11	**नगर निगम अथवा राजकीय कार्यालय /राजकीय उपक्रमों के अधीन पार्किंग स्थलों के प्रबन्धन का एक वर्ष का अनुभव का विवरण (वर्ष 2018 से आदिनांक तक की अवधि में)**	**वर्ष**	**विभाग/कार्यालय/भवन**	**वार्षिक राशि**	**प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।**

12	आयकर पैन (PAN) नम्बर		प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13	जी.एस.टी. पंजीयन नम्बर (यदि हो तो)		प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
14	**हैसियत प्रमाणपत्र सक्षम राजस्व अधिकारी (यथा जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार) द्वारा जारी किया हो अथवा किसी राष्ट्रीयकृत/ व्यवसायिक बैंक द्वारा जारी किया गया सोल्वेंसी प्रमाण पत्र, जो कि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को 2 माह से अधिक पुराना न हो।**	हैसियत राशि रूपये 2.50 लाख	प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

निविदादाता द्वारा घोषणाः–

15 यह कि मै/हम (नाम) ––––––––––––––– –––कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक प.1(6)कार्मिक/ख–3/2024 दिनांक **08.01.2025** के प्रत्युत्तर में शासन सचिवालय परिसर के उत्तर–पश्चिम कॉर्नर में नवनिर्मित बहुमजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुए साइकिल स्टेण्ड़ के प्रबन्धन व संचालन के कार्यों के लिये एतदद्वारा तकनीकी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी निविदा के साथ निम्न लिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैंः–

(1) ––––––––––––––––––
(2) ––––––––––––––––––
(3) ––––––––––––––––––
(4) ––––––––––––––––––
(5) ––––––––––––––––––
(6) ––––––––––––––––––
(7) ––––––––––––––––––
(8) ––––––––––––––––––

16. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें (परिशिष्ट–3) मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
17. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा अधीन कार्य कराने के लिये मेरे द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिक/कर्मकार किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के लिये देयता नहीं होंगे।
18. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस प्राप्त कर प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे और जितनी संख्या मे श्रमिकों के लिये लाइसेंस होगा उतनी संख्या मे श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 09.07.2023 की पालना में बाल श्रमिक नियोजित नहीं किये जायेंगे।
19. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है, और न भविष्य में रखी जावेगी।

दिनांक...................... **निविदादाता हस्ताक्षर**

नाम एवं पूरा पता एवं सील

वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid Form)

शासन सचिवालय परिसर (जयपुर) में उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन बाबत

1.	निविदा सूचना का संदर्भ	प. 1(6)कार्मिक / ख–3 / 2024 दिनांक **08.01.2025**	
2.	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय परिसर में उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साईकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन बाबत	
3.	निविदादाता व्यक्ति / फर्म का नाम		
4.	निविदादाता व्यक्ति / फर्म का पूरा पता	पता	
		टेलीफोन नं.	
		मोबाईल नं.	
5.	प्रथम वर्ष हेतु वित्तीय बोली (Financial Bid) की राशि (नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा)	राशि रूपये... / – अक्षरे राशि रूपये... ....)	
6	निविदा अधीन वर्णित प्रकृति के ठेके के कार्य पर अगर किसी प्रकार के कर आदि वर्तमान में लागू हैं अथवा भविष्य में लागू होते हैं तो उन्हें ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। बिन्दु संख्या 5 पर वर्णित राशि शुद्ध राशि हैं जो कि ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा करानी है।		
	अधिकृत ठेकेदार / व्यक्ति के हस्ताक्षर		
	हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम		
	अगर निविदा किसी फर्म की तरफ से है तो हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम एवं फर्म की सील		
	संस्था का नाम व पूरा पता		
	हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारी का पूरा पता		
	दिनांक		

–:निविदा की शर्तें:–

कार्य का नाम	**शासन सचिवालय परिसर में उत्तरी–पश्चिमी कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन बाबत**
निविदा का संदर्भ	**प. 1(6)कार्मिक / ख–3 / 2024 दिनांक 08.01.2025**

तकनीकी व वित्तीय निविदाएं अलग–अलग:

1. इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रकार 3 परिशिष्ट संलग्न है:–
   (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट–1
   (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट–2
   (3) निविदा की शर्तें – परिशिष्ट–3
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक निविदादाता द्वारा तकनीकी व वित्तीय – दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
3. तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ठ–1) के साथ निविदादाता को वांछित दस्तावेज, हस्ताक्षरयुक्त विवरण–पत्र एवं (परिशिष्ठ–3) निविदा की शर्तें हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना जरूरी है, और उक्त लिफाफे पर **" शासन सचिवालय परिसर (जयपुर) में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर में नवनिर्मित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुये साइकिल स्टेण्ड के प्रबन्धन व संचालन के ठेके के लिये निविदा–तकनीकी निविदा"** शब्दावली अंकित करनी होगी। इस तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्न 3.1 से 3.6 बिन्दु पर अंकित प्रपत्र रखे जाएँगे :–

3.1 बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/– (अक्षरे राशि रूपये चार हजार मात्र) का जयपुर मे भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट ''शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर'' के नाम देय।

3.2 शासन सचिवालय द्वारा विक्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये निविदा की शर्तों सम्बन्धी प्रपत्र (परिशिष्ट–3) प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–1) को पूर्ण भरकर एवं उक्त विवरण पत्र को हस्ताक्षर करके लिफाफे में रखना होगा, जिस पर **'तकनीकी निविदा'** अंकित करना होगा।

3.3 नगर निगम अथवा अन्य राजकीय कार्यालयों/राजकीय उपक्रमों के अधीन पार्किंग स्थलों के प्रबन्धन का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। **(वर्ष 2018 से आदिनांक तक की अवधि में)**

3.4 सक्षम राजस्व प्राधिकारी (यथा उपखंड अधिकारी) से जारी किया गया मूल निवास प्रमाणपत्र/पासपोर्ट/चुनाव आयोग का फोटो पहचानपत्र/आधार कार्ड में से कोई एक की प्रमाणित प्रति।

3.5 व्यक्ति/संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे। साथ ही आयकर विभाग द्वारा जारी 'पेन कार्ड' एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जावे।

3.6 निविदादाता को कम से कम राशि रूपये 2.50 लाख तक का सक्षम राजस्व प्राधिकारी (यथा उपखंड अधिकारी) द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति (प्रमाण–पत्र फर्म या फर्म के प्रोपराईटर या कम्पनी के नाम में ही होना चाहिये) अथवा किसी राष्ट्रीयकृत/व्यावसायिक बैंक से जारी किया गया सोल्वेंसी प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) जो कि निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक को 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो, की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि हो तो) की छाया प्रति भी संलग्न की जावे।

3.7 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–2), जिसमें ठेके की वार्षिक राशि (निविदा बोली) की राशि का अंकन बिन्दु संख्या 5 पर करके उक्त **वित्तीय निविदा प्रपत्र को अलग लिफाफे में रखना होगा, जिस पर 'वित्तीय निविदा' अंकित करना होगा।**

हस्ताक्षर निविदादाता

4. सफल निविदादाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) का जयपुर मे भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट ''शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर'' के नाम देय जमा कराना होगा।

5. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। अगर डाक से भेजी गयी निविदायें निर्धारित दिनांक व समय तक पंजीयक कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर में नहीं पहुंचती हैं तो इसके लिये शासन सचिवालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

6. निविदा में प्राप्त तकनीकी निविदाओं को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पंजीयक, शासन सचिवालय के कक्ष में खोला जावेगा। तकनीकी दृष्टि से योग्य पाई जाने वाली निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, जिसकी सूचना कार्यालय द्वारा यथा समय दे दी जावेगी।

7. निविदादाता द्वारा मूल निवास एवं अन्य बिन्दुओं बाबत दी गई सूचनाओं का सत्यापन कराया जा सकता है और असत्य सूचनाएं प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

8. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.6 पर अंकित प्रपत्र/दस्तावेज अनिवार्य हैं और इनके अभाव में निविदा बिना मूल्यांकन के ही निरस्त की जा सकती है।

9. शासन सचिवालय प्रशासन (कार्मिक विभाग) को किसी भी निविदा को (अधिकतम अथवा न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

10. वित्तीय निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में दरें अंकित व हस्ताक्षरित करके केवल वित्तीय निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे में ही रखा जावेगा तथा इस लिफाफे मे अन्य कोई दस्तावेज नहीं रखा जावेगा। इस लिफाफे पर ''राजस्थान शासन सचिवालय परिसर (जयपुर) में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर में नव निर्मित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुए साइकिल स्टेण्ड़ के प्रबन्धन व संचालन के कार्य हेतु **''वित्तीय निविदा'' शब्द अंकित करने होंगे तथा लिफाफे को सीलबन्द किया जावेगा।**

11. ''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'' के अलग अलग सीलबन्द दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रख कर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबन्द करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर **''शासन सचिवालय परिसर में उत्तर–पश्चिम कॉर्नर स्थित बहुमंजिले पार्किंग स्थल एवं उससे लगते हुए साइकिल स्टेण्ड़ के प्रबन्धन व संचालन के कार्य हेतु निविदा''** शब्दावली अंकित कर पंजीयक कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में इस हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय तक कार्य दिवस में जमा कराना होगा।

12. प्राप्त निविदाओं को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/कार्यालय मे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम तकनीकी निविदा के लिफाफे को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा के लिफाफे सुरक्षित रखे जावेंगे। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।

13. निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा मे दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया मे तकनीकी समिति निविदादाता के व्यावसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

14. तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के बिन्दु संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, व 14 की सूचनायें तकनीकी निविदा के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर निविदादाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

15. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण एवं भौतिक सत्यापन के बाद केवल उन निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जावेंगे, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं के वित्तीय निविदाओं के लिफाफे नहीं खोले जावेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

पार्किंग स्थल का विवरण :

1. निविदा अधीन पार्किंग स्थल शासन सचिवालय के उत्तर–पश्चिमी कोर्नर में स्थित है, जिसमे कुल 4 भाग हैं। विवरण निम्न प्रकार हैः–
   - 1.1 अपर बेसमेंट (Upper Basement)
   - 1.2 भूतल (Ground Floor)
   - 1.3 प्रथम तल (First Floor)
   - 1.4 साइकिल स्टेण्ड कॉरीडोर
2. बिन्दु संख्या 1 पर वर्णित प्रथम 3 फ्लोर्स (Upper basement & Ground Floor, First Floor) छत सहित अर्थात Covered हैं जबकि साइकिल स्टेण्ड फाईबर शेड से कवर्ड है।
3. विभागीय आंकलन के अनुसार निविदा अधीन पार्किंग स्थल की क्षमता लगभग 320 चार पहिये वाहन (cars, Jeeps etc.) अथवा लगभग 1500 दो पहिया वाहनों (2-wheelers- Scooters, Motor Cycles etc.) के समतुल्य है। साइकिल स्टेण्ड कॉरीडोर की क्षमता लगभग 600 साइकिलों के लिये है।

फ्लोर–वार निर्धारित वाहन श्रेणीः

4. निविदा अधीन पार्किंग स्थल पर पार्किंग हेतु निर्धारित/अनुमत्त वाहनों की निम्न श्रेणियां हैः–

भूतल (Ground Floor):

5. इस तल पर दैनिक आगन्तुकों के गैर सदस्य श्रेणी के ऐसे चार पहिया व दो पहिया वाहन (4-wheelers and 2-wheelers of non-member category) पार्क किये जावेंगे, जिनके पास शासन सचिवालय से जारी किया गया स्थायी अथवा सावधिक प्रवेश पत्र/पार्किंग टोकन नहीं है।
6. विभागीय आंकलन के अनुसार भूतल पार्किंग की क्षमता लगभग 105 चार पहिया अथवा उसके अनुपात मे दो पहिया वाहनों के लिये है। वर्तमान मे शासन सचिवालय मे प्रतिदिन लगभग 50–60 चार पहिया व 250–300 दो पहिया वाहन गैर सदस्य श्रेणी के आते हैं, जिनको उक्त भूतल पार्किंग पर पार्क किया जाना है। उल्लेखनीय है कि यहां वर्णित संख्या अनुमानित है और सचिवालय प्रशासन किसी भी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं देता है। इस फ्लोर पर भी आगे शर्त संख्या–13 पर वर्णित श्रेणी के वाहनों को सदैव ही तथा शर्त संख्या 14 पर वर्णित श्रेणी के वाहनों को विशेष अवसरों पर पूरे फ्लोर पर निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

शेष दो फ्लोर्सः प्रथम तल(+1) एवं अपर बेसमेन्ट (–1)

7. निविदा अधीन पार्किंग–स्थल के शेष 2 फ्लोर्स अर्थात, अपर बेसमेंट (upper basement) और प्रथम तल (first floor) सदस्य श्रेणी के दो पहिया वाहनों के लिये निर्धारित है। प्रत्येक फ्लोर की क्षमता लगभग 600 दो पहिया वाहन है। अर्थात दो फ्लार्स की दो पहिया वाहन क्षमता लगभग 1200 है।

हस्ताक्षर निविदादाता

साइकिल स्टेण्ड कॉरीडोरः

8. इस कॉरीडोर मे दैनिक आगन्तुकों तथा शासन सचिवालय मे पदस्थापित कर्मचारीगण – दोनों तरह की साईकिलें पार्क की जावेंगी। जिन साइकिलों के लिये शासन सचिवालय से स्थायी अथवा सावधिक पार्किंग टोकन जारी किये जावेंगे उन्हें निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। शेष साइकिलों से निविदा शर्तों के तहत निर्धारित पार्किंग शुल्क अनुमोदित पार्किंग ठेकेदार द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

निर्धारित पार्किंग शुल्कः–

9. ठेकेदार केवल गैर–सदस्य श्रेणी के वाहनों से ही पार्किंग शुल्क निर्धारित दर से वसूल करेगा और राजकीय तथा सदस्य श्रेणी के वाहनों को पार्किंग सुविधा निशुल्क उपलब्ध रहेगी। निविदा मे दरें भरते समय निविदादाता को इस तथ्य का ध्यान रखना है।
10. गैर सदस्य श्रेणी के वाहन वे हैं, जिनके पास शासन सचिवालय से जारी किया गया स्थायी अथवा सावधिक पार्किंग टोकन नहीं है।
11. गैर सदस्य श्रेणी के वाहनों के लिये अधिकतम पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	अवधि	चार पहिया वाहन (Cars, Jeeps etc.)	दो पहिया वाहन (Scooter, Motor Cycle etc.)	साइकिल
1	प्रथम 10 घंटे अथवा उसके अंश के लिये	20.00 रूपये	10.00 रूपये	1.00 रूपये
2	10 घंटे से अधिक किन्तु मध्यरात्रि 12.00 बजे तक के लिये।	30.00 रूपये कुल	15.00 रूपये कुल	
3	मध्यरात्रि 12.00 बजे बाद वाहन ले जाने पर	50.00 रूपये कुल	20.00 रूपये कुल	2.00 रूपये कुल

12. विकलांग–व्यक्ति/निशक्तजनों के वाहनों (यथा ट्राईसाइकिल आदि) के लिये पार्किंग स्थल पर सामान्य संचालन समय के दौरान (During Operational timing) निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी, किन्तु मध्यरात्रि 12.00 बजे बाद 10.00 रूपये शुल्क वसूल किया जावेंगा।
13. राजस्थान से निर्वाचित माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुखगण एवं प्रधानगण को भी शासन सचिवालय प्रशासन द्वारा एक–एक चार पहिया वाहन के लिये स्थाई अथवा सावधिक पार्किंग टोकन जारी किया जाता है। इसी प्रकार प्रेस/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वाहनों को भी सचिवालय प्रशासन द्वारा स्थायी अथवा सावधिक पार्किंग टोकन जारी किये जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किन्हीं विशिष्ठ आगन्तुकों के चार पहिया वाहनों को भी पार्किंग टोकन जारी किये जा सकते हैं। ऐसे टोकनधारी सभी वाहनों को भी पर्किंग स्थल पर निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

14. कभी–कभी विशेष अवसरों पर सम्पूर्ण पार्किंग स्थल को विशेष प्रयोजनार्थ सचिवालय प्रशासन द्वारा पूर्णतः निःशुल्क पार्किंग हेतु आरक्षित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा आरक्षण अनुबन्ध अवधि में एक वर्ष की अवधि में बीस कार्य दिवसों से अधिक का नहीं होगा।

पार्किंग स्थल का संचालन समयः

15. निविदा अधीन पार्किंग स्थल का संचालन समय (operational timing) प्रातः 8.00 बजे से मध्यरात्रि 12.00 बजे तक रहेगा, अर्थात प्रातः 8.00 बजे से पूर्व और मध्यरात्रि 12.00 बजे बाद पार्किंग स्थल पर कोई वाहन जमा नहीं किया जावेगा।

16. यह कि उपरोक्त शर्त संख्या 15 के बावजूद कोई वाहन मालिक/चालक यदि मध्यरात्रि 12.00 पूर्व अपना वाहन पार्किंग स्थल से नहीं निकाल पाता है, तो वह रात्रि 12.00 बजे बाद भी अपना वाहन ले जा सकेगा, किन्तु उससे शर्त संख्या 11 की तालिका में वर्णितानुसार अधिकतम शुल्क वसूल किया जायेगा, चाहे उसका वाहन चार घंटे से भी कम समय के लिये पार्क रहा हो।

17. सामान्य संचालन समय प्रातः 8.00 बजे से मध्यरात्रि 12.00 बजे तक के अलावा समय मे यद्यपि पार्किंग स्थल बन्द रहेगा किन्तु इस दौरान भी ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर रात्रि कालीन चौकीदार तैनात रखा जावेगा ताकि स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा शर्त संख्या 16 मे यथावर्णित कोई वाहन मालिक/चालक रात्रि 12.00 बजे बाद भी अपना वाहन लेने आवे तो उसे कोई कठिनाई नहीं हो।

18. सार्वजनिक/राजकीय अवकाशों को भी पार्किंग स्थल उपरोक्त समयानुसार संचालित (operative) रहेगा।

अन्य शर्तें (Other Conditions):

19. दैनिक आधार पर आने वाले आगन्तुकों के गैर सदस्य वाहनों को पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा मुद्रित टोकन दिया जायेगा। टोकन के दो भाग होंगे। एक भाग वाहन स्वामी/चालक को दिया जायेगा और दूसरा भाग टोकन बुक में यथावत संलग्न रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या और समय लिखकर देना होगा।

20. टोकन के दोनों भागों पर पार्किंग शुल्क की सभी प्रकार की दरें मुद्रित होंगी ताकि वाहन स्वामी दरों के बाबत पूर्णत सूचित रहे।

21. टोकन बुक ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से मुद्रित करानी होगी तथा इस हेतु प्रारूप का अनुमोदन पंजीयक, शासन सचिवालय से कराना होगा।

22. किसी भी टोकन बुक को प्रयोग में लेने से पूर्व उसे पंजीयक से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा।

23. पार्किंग स्थल पर खड़े सभी वाहनों की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पार्किंग स्टेण्ड़ पर रखा गया वाहन खो जाने पर ठेकेदार को वाहन की उचित कीमत वाहन स्वामी को चुकानी होगी और सभी प्रकार की वैधानिक देनदारियां स्वयं ठेकेदार को ही वहन करनी होंगी।

24. यद्यपि राजकीय वाहनों, सदस्य वाहनों एवं विकलांग/निःशक्तजन वाहनों के लिये पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जावेगा, तथापि इन श्रेणियों के वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी ठेकेदार का ही होगा।

25. दोनो फ्लोर्स (upper basement & First floor) पर शासन सचिवालय मे पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण अथवा आगन्तुकों के वे दो पहिया वाहन पार्क किये जावेंगे, जिनके पास शासन सचिवालय द्वारा जारी किया गया स्थायी अथवा सावधिक प्रवेश पत्र/पार्किंग टोकन हैं। इस श्रेणी के वाहनों को पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इस श्रेणी के वाहनों के लिये ठेकेदार द्वारा धातु अथवा प्लास्टिक के निःशुल्क टोकनों की व्यवस्था की जावेगी। पार्किंग स्थल पर प्रवेश के समय वाहन स्वामी को टोकन दिया जावेगा और पार्किंग स्थल से वाहन की निकासी के समय टोकन वापिस लिया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

26. ठेकेदार को चार पहिया, दो पहिया वाहनों में हवा, पंचर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिये कार्मिक विभाग से दरों का अनुमोदन कराना होगा एवं अनुमोदित दरों को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा पानी–बिजली की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी। साईकिलों में हवा निःशुल्क भरवाई जावेगी।

27. वाहन स्वामी/चालक द्वारा टोकन खो जाने पर ठेकेदार द्वारा वाहन तब तक नहीं लौटाया जायेगा जब तक कि वाहन स्वामी द्वारा वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिये जावें।

28. यद्यपि दैनिक आगन्तुकों के आने वाले विभिन्न श्रेणी के गैर सदस्य वाहनों के लिये निर्धारित पार्किंग शुल्क की दरें ठेकेदार द्वारा जारी किये जाने वाले टोकन के दोनों भागों पर मुद्रित होंगी तथापि इसके अतिरिक्त भी पार्किंग स्थल पर उपयुक्त स्थान पर पार्किंग शुल्क की स्वीकृत दरें सूचना बोर्ड़ पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगाकर दर्शायी जानी होंगी।

29. पार्किंग स्थल के लिये अनुमत वाहनों की श्रेणी से भिन्न श्रेणी के किसी वाहन को पार्किंग स्थल पर पार्क नहीं किया जावेगा अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध इस निविदा की शर्तों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

30. जिस श्रेणी के वाहनों को खड़ा करने का ठेका दिया है उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन मिला तो 300 रूपये प्रतिदिन प्रति वाहन जुर्माना राशि के रूप में वसूल किया जावेगा।

31. निविदा अधीन पार्किंग स्थल का ठेका दो साल का होगा जो कि उस तारीख से प्रभावी होगा, जो इस हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध मे वर्णित की जावेगी।

32. जिस निविदादाता की निविदा–दरें (Financial Bid) अनुमोदित की जाती हैं, उसे अनुमोदित वार्षिक राशि की 25 प्रतिशत राशि सचिवालय द्वारा सूचना देने के 48 घंटे में जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 7 दिवस मे जमा करानी होगी। साथ ही द्वितीय वर्ष की राशि प्रथम वर्ष की ठेका अवधि पूर्ण होने से पूर्व जमा कराई जानी होगी।

33. जिस निविदादाता की वित्तीय बोली (Financial Bid) स्वीकार की जावेगी, उसकी अमानत राशि (Earnest Money) का समायोजन वित्तीय बोली (Financial Bid) की राशि के विरूद्ध किया जा सकेगा। सफल बोली दाता द्वारा प्रतिभूति राशि (Security Amount) रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) का डी.डी. /बैंकर्स चैक जमा कराया जावेगा, जो भविष्य में सम्भावित शास्तियों/दावों आदि के विरूद्ध जमा रखी जावेगी, जो कि ठेका अवधि संतोषजनक सम्पन्न होने पर ठेकेदार को सभी प्रकार की शास्तियों/दावों आदि के समायोजन के बाद लौटायी जा सकेगी।

34. शर्त संख्या 32 के अनुसार 25 प्रतिशत राशि 48 घंटे में जमा नही कराने पर बयाना राशि जब्त की जाकर निविदादाता की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और इससे आगे शासन सचिवालय पार्किंग ठेके बाबत कार्यवाही अपनी इच्छानुसार कर सकेगा। इसी प्रकार शर्त संख्या 32 के अनुसार 75 प्रतिशत 7 दिवस में जमा नही कराने पर बयाना राशि और 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त की जा कर निविदादाता की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और इससे आगे शासन सचिवालय पार्किंग ठेके बाबत कार्यवाही अपनी इच्छानुसार कर सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

35. सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद ठेका अनुबन्ध 500/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हस्ताक्षरित किया जावेगा, जिसके प्रारूप का अनुमोदन पंजीयक कार्यालय शासन सचिवालय से कराना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने के अभाव में ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा करायी गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

36. अनुबन्ध प्रारम्भ की तारीख वह होगी, जो कि इस हेतु अनुबन्ध में निर्धारित की जावेगी।

37. उक्त कार्य हेतु अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा।

38. निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में दर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत की जावेगी। एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर ठेका अवधि आपसी सहमति से प्रथम वर्ष की अनुमोदित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढाया जा सकेगी। प्रतिवर्ष की दर पर नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा।

39. ठेका अवधि समाप्त होने पर अन्तिम दिनांक की मध्यरात्रि को पार्किंग स्थल पर ठेकेदार का कब्जा स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।

40. अधिकृत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पार्किंग स्थल पर कोई भी वसूली नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों/कार्मिकों की सूची पूर्ण पतों सहित अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के समय तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

41. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर जिन कार्मिकों को तैनात किया जावेगा, उन्हें अपने नाम की पट्टिका सहित नीले रंग की वर्दी (पेंट–शर्ट) पहननी होगी। ऐसा नहीं किया जाना ठेका अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा एवं दण्ड स्वरूप राशि रूपये 500/– का जुर्माना ठेकेदार पर किया जा सकेगा। निर्धारित वर्दी एवं बैच ठेकेदार/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

42. इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु यदि ठेकेदार/संस्था द्वारा कुछ कुशल या अकुशल श्रमिकों को नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत करना होगा और यदि इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई तो ठेका निरस्त कर दिया जावेगा और प्रभावी विधि/नियमों के तहत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

43. प्रत्येक श्रमिक के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) सचिवालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक होगा। संदेह की स्थिति में सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यो में लगे श्रमिकों की तलाशी लेने का अधिकार इस विभाग को होगा।

44. बिना वर्दी, बैच एवं प्रवेश–पत्र के किसी श्रमिक को सचिवालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

45. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

46. ठेकेदार/संस्था के लिये यह बाध्यता होगी कि अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध–सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।

47. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि पार्किंग स्थल सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार/संस्था को करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

48. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा।

49. ठेकेदार/संस्था को श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम संबंधी कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। सम्बन्धित कानून की जानकारी नहीं होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जावेगा।

50. कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/संस्था की होगी। कार्यो पर लगे श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये सरकार किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगी।

51. प्रभावी श्रम कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) में राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार/ सचिवालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जावेगा।

52. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधायी निधि (EPF) व बीमा (ESI) एवं सेवाकर आदि में इस अनुबन्ध की अवधि में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार/संस्था को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और विभाग का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

53. श्रम संबंधी कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिन का नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकता है।

54. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा ऐसे सभी श्रमिकों को ठेकेदार/संस्था द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिक हैं, तथा शासन सचिवालय प्रशासन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

55. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लम्बित भुगतान से वसूली योग्य होगी।

56. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग का होगा।

57. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायालयी विवाद किसी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न हो कर चल रहा हो अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।

58. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

59. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

60. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा।

61. यदि शासन सचिवालय को अथवा निविदा अधीन पार्किंग स्थल को ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हैं या दायित्व उत्पन्न होता है तो ठेकेदार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

62. यदि ठेकेदार की गलती/असफलता/चूक के कारण राजस्थान सरकार को निविदा अधीन पार्किंग स्थल का प्रबन्धन वैकल्पिक व्यवस्था से कराना पड़ा तो वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा ठेकेदार की Risk–Cost पर होगा तथा उससे वसूल किया जावेगा।

63. निविदा अधीन पार्किंग स्थल को पूर्णतः अथवा उसके किसी अंश को राज्य सरकार को जनहित में आवश्यक होने पर अपने कब्जे में लेने का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

64. भविष्य में कोरोना महामारी एवं समान ही अन्य महामारी/आपदा होने पर महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराई जावेगी। आपदाकाल में होने वाली आकस्मिताओं के दौरान हुई किसी भी प्रकार की हानि के एवज में राज्य सरकार किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं होगी।

65. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम गलती पर रूपये 500/–रूपये (पांच सौ रूपये मात्र) व समान प्रकृति की गलती का दोहराव होने पर 1000/– रूपये (एक हजार रूपये मात्र) दण्ड/जुर्माना ठेकेदार पर किया जा सकेगा। तीसरी या इससे अधिक बार समान गलती करने पर ठेका भी निरस्त किया जा सकेगा।

66. पार्किंग ठेकेदार द्वारा दैनिक रूप से Paid पार्किंग में आ रहे वाहनों का रिकॉर्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा आकस्मिक अवलोकन किया जा सकेगा तथा उक्तानुसार तैयार सूचना मासिक रूप से पंजीयक, शासन सचिवालय को उपलब्ध करानी होगी।

67. उपरोक्त शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार शासन सचिवालय/राज्य सरकार को होगा।

68. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम...

पता...

....

....

....

मोबाईल...

ईमेल...